संख्या एनएस-एमआईएस 0 ओटीएचआर/26/2024-एनपीसीएस(आरएनआई)

भारत के प्रेस महापंजीयक
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

दिनांकः 07 अप्रैल, 2025

2025 की एडवाइजरी संख्या 9

विषयः- वैध उत्तराधिकारी को नियतकालिक पत्रिका का स्वामित्व हस्तांतरण।

यह सूचित किया जाता है कि पंजीकृत स्वामी की मृत्यु के मामले में वैध उत्तराधिकारी को स्वामित्व के हस्तांतरण हेतु सुविधा अब प्रेस सेवा पोर्टल (https://presssewa.prgi.gov.in/#/)पर प्रचालन में है। आवेदन करने के लिए वैध उत्तराधिकारी अपने क्रेडेंशियल्श का उपयोग करते हुए प्रेस सेवा पोर्टल पर लॉग इन करें, न्यू टाईटल रजिस्ट्रेशन टैब पर नेवीगेट करें और प्रक्रिया शुरू करने के लिए ऑनरशिप ट्रांसफर टू लीगल एयर का चयन करें।

2. पोर्टल पर स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करनाअपेक्षित हैः

i. मौजूदा स्वामी का मृत्यु प्रमाण पत्र
ii. वैध उत्तराधिकारी संबंधी प्रमाण पत्र
iii. परिवार के सदस्यों सहित सभी हितधारियों द्वारा हस्ताक्षरित अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जिसमे यह उल्लेख हो कि उन्हे वैध उत्तरारधिकारी को स्वामित्व हस्तांतरण के संबंध में कोई आपत्ति नही है।
iv. पंजीकरण का मूल प्रमाण पत्र (ओसीआर) या प्रमाण पत्र गुम होने संबंधी शपथ पत्र, यदि लागू हो
v. कोई अन्य संगत प्रमाण पत्र।

3. आवेदकों को स्वामित्व हस्तांतरण हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करते समय निम्नलिखित बाते सुनिश्चित करनी चाहिएः

क. हस्तांतरण के लिए प्रस्तावित शीर्षकों के सभी संस्करणों का चयन/मैपिंग पोर्टल पर की गई हो।

ख. "निष्क्रिय" श्रेणी के अंतर्गत आने वाले शीर्षक हस्तांतरण के लिए मान्य नहीं होंगे। ऐसे शीर्षक या तो बंद कर दिए जाएगें अथवा स्वामित्व हस्तांतरण शुरू करने से पहले पुनः सक्रिय किए जाएगें।

ग. मृतक स्वामी जिसकी नियतकालिक पत्रिका को हस्तांतरित किया जा रहा है, के नाम पर कोई जुर्माना देय नहीं होना चाहिए।

4. अतः स्वामित्व हस्तांतरण करवाने वाले आवेदकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि सभी आवश्यक दस्तावेज यथावत सत्यापित हो और निर्दिष्ट प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाएं।

अपने आवेदनों का समयबद्ध और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों को पी.आर.पी. अधिनियम, 2023 जिसे पी.आर.पी. नियमावली, 2024 के साथ पढ़ा गया है, के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

इसे प्रेस महापंजीयक महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(राजित चन्द्रन एम.आर.)
उप प्रेस महापंजीयक

भारत के प्रेस महापंजीयक
सत्यमेव जयते
संचार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली